

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

—:: आदेश ::—

क्रमांक-433/दो-11-3/2024

बिलासपुर, दिनांक 25 जून, 2025

इस स्थापना में भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक-311/दो-12-48/2007, बिलासपुर, दिनांक 09-01-2025 के संदर्भ में चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को “भृत्य” के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल-1 (15600-49400) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पता	वर्ग	नियुक्ति का पद
1	2	3	4
1	श्री आशीष कुमार साहू, पिता श्री जगदीश साहू पता-ग्राम व पोस्ट-सागर, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ0ग0) पिन-495220	अनारक्षित (मुक्त)	भृत्य
2	श्री अन्थोनी सक्सेना, पिता श्री प्रताप सिंह, पता-ग्राम-अमरताल, पोस्ट-तिलई, जिला-जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)	अनारक्षित (मुक्त)	भृत्य
3	श्री कुश कुमार साहू, पिता श्री मनोज कुमार साहू, पता-ग्राम व पोस्ट-सागर, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ0ग0)	अनारक्षित (मुक्त)	भृत्य
4	गायत्री बाई, पिता श्री सुकदेव प्रसाद पता-ग्राम व पोस्ट-देवनगर, कोनी, वार्ड नंबर-67, आश्रम के सामने, पोस्ट-बिरकोना, तहसील व जिला-बिलासपुर (छ0ग0) पिन-495009	अनारक्षित (महिला)	भृत्य
5	श्री अर्जुन धुरी, पिता श्री परसराम धुरी, पता-वार्ड नंबर-4, धुरी पारा मंगला, बिलासपुर (छ0ग0) पिन-495001	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)	भृत्य
6	श्री भूपेन्द्र कुमार अनंत, पिता श्री रमेश कुमार अनंत, पता-ग्राम-लोकबंद, पोस्ट-करगीखुर्द, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ0ग0) पिन-495113	अनुसूचित जाति (मुक्त)	भृत्य
7	श्री रामप्रसाद बड़ा, पिता श्री भगतु बड़ा, पता-ग्राम-सरगवां, पोस्ट-कमारी, थाना व तहसील-शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर (छ0ग0) पिन-497118	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)	भृत्य
8	दिव्या मांडवी, पति स्व0 श्री अरुण कुमार, पता-ग्राम-रहंगी, पोस्ट-चकरभाठा, तहसील-बोदरी, जिला-बिलासपुर (छ0ग0) पिन-490026	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)	भृत्य

नियुक्ति की शर्त :-

1. परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी।

2. अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करना होगा, अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
3. अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
4. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और न ही अध्ययन जारी रख सकेंगे।
5. अस्थायी सेवा काल में यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते हैं तो 01 माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो 01 माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले 01 माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
6. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणित योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की दो-दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करते समय 02 नग सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक 15-07-2025 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
9. यदि चयन/नियुक्ति के संबंध में कोई असत्य जानकारी/कूटचिंतित दस्तावेज आदि पाई जाए अथवा किसी विधि, नियम, विनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति/सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में अथवा अनुभाग में की जा सकती है।

पृष्ठांकन क्रमांक-1212/दो-11-3/2024

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)
बिलासपुर, दिनांक 25 जून, 2025

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक-1931/तीन-18-29/2008, बिलासपुर, दिनांक 12-03-2013 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
 3. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
4. सहायक प्रोग्रामर, बिलासपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करे।
 5. श्री आशीष कुमार साहू, पिता श्री जगदीश साहू, पता-ग्राम व पोस्ट-सागर, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ0ग0) पिन-495220
 6. श्री अन्थोनी सक्सेना, पिता श्री प्रताप सिंह, पता-ग्राम-अमरताल, पोस्ट-तिलई, जिला-जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)

7. श्री कुश कुमार साहू, पिता श्री मनोज कुमार साहू, पता-ग्राम व पोस्ट-सागर, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ0ग0)
8. गायत्री बाई, पिता श्री सुकदेव प्रसाद, पता-ग्राम व पोस्ट-देवनगर, कोनी, वार्ड नंबर-67, आश्रम के सामने, पोस्ट-बिरकोना, तहसील व जिला-बिलासपुर (छ0ग0) पिन-495009
9. श्री अर्जुन धुरी, पिता श्री परसराम धुरी, पता-वार्ड नंबर-4, धुरी पारा मंगला, बिलासपुर (छ0ग0) पिन-495001
10. श्री भूपेन्द्र कुमार अनंत, पिता श्री रमेश कुमार अनंत, पता-ग्राम-लोकबंद, पोस्ट-करगीखुर्द, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ0ग0) पिन-495113
11. श्री रामप्रसाद बड़ा, पिता श्री भगतु बड़ा, पता-ग्राम-सरगवां, पोस्ट-कमारी, थाना व तहसील-शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर (छ0ग0) पिन-497118
12. दिव्या मांडवी, पति स्व0 श्री अरुण कुमार, पता-ग्राम-रहंगी, पोस्ट-चकरभाठा, तहसील-बोदरी, जिला-बिलासपुर (छ0ग0) पिन-490026

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)